

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

110

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास) ।

पटना, दिनांक :- 2.3.16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष -0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" आंशिक निःशककता के लिए अनुदान की राशि रू० 37,500/- मात्र प्रति मजदूर की दर भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

| क्र० सं० | जिला का नाम | आंशिक निःशककत मजदूर की संख्या | प्राथमिक इकाई | आवंटित राशि | अभ्युक्ति(आंशिक निःशककत मजदूर का नाम एवं पता) |
|----------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | सासाराम (रोहतास) | 01 | 31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा | 37500/- | जिला पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास) का पत्रांक-181 दि.-20.02.16 के आलोक में श्री चंदन सिंह पिता श्री शिव नारायण प्रसाद, ग्राम+प्रखंड-नासरीगंज, जिला- सासाराम (रोहतास) (आंशिक निःशककता के लिए) के भुगतान हेतु। |
| | कुल | 01 | | 37500/- | |

कुल आवंटित राशि रूपये 37,500/- (सैतीस हजार पाँच सौ) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

110

पटना, दिनांक

2.3.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

01/3/16

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/20145 श्र0सं0-


110

पटना, दिनांक-

2.3.16

स्पीड पोस्ट प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ *जिला कोषागार पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास)/ उप श्रमायुक्त, पटना/*सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर(रोहतास) /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-75 (श्रमपक्ष) दिनांक-29.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।


(मो० सलाम)
श्रम आयुक्त, बिहार।
21/3/16